पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश-2015 पर अनुमोदन प्रदान किया

लखनऊः 15 दिसम्बर, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश-2015 को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में संशोधन हेतु उक्त अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा मंजूरी के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य विधान मण्डल के शीतकालीन सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में बुलाये जाने की संभावना है इसलिए राज्यपाल द्वारा विषय की तात्कालिकता के दृष्टिगत ऐसा निर्णय लिया गया है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को पत्र द्वारा राज्यपाल को अवगत कराया है कि राज्य विधान मण्डल का सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में आहूत करने हेतु मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में चर्चा हेतु लाया जायेगा। दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 को राजभवन में भेंट के दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से शीतकालीन सत्र आहूत करने और राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश के बारे में चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त नियुक्ति, विधान परिषद के सदस्यों का नामांकन व अन्य विचाराधीन विधेयकों पर भी विस्तार से विचार विनिमय भी हुआ था।